2018/00143

मिसल नं0 4/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम रामरतन ,रामकुमार,मांगीबाई व राधाबाई जाति बलाई निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद

| तारीख़ हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08-11-19 | पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम उम्मेदपुरा (पटवार मण्डल डूंगरज्या ) के पूर्व ख0 नं0 15 की 1 बीधा 13 बिस्वा सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2013—2031 मे किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज खाता सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी । हाल नम्बर 19 रकबा 0.43 है0 मे से 0.30 है0 ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोंद नामा0 सं0 34 दिनांक 12.05.1969 से प्रताप पुत्र मंगला जाति बलाई नि0 उम्मेदपुरा के नाम दर्ज हो गई सम्वत् 2043—62 बन्दोबरत मे किस्म बारानी प्रथम दर्ज है । नामा0 सं0 64 दिनांक 18.01.2002 विरासत से उक्त आराजी खातेदार के दर्ज है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अतः उक्त भूमि गै0 मु0 तलाई राजकीय खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया ।<br><br>रेफरेन्स प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुन्दाओं की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी मांगीबाई व राधाबाई का स्वर्गवास हो गया है । अप्रार्थी रामकुमार व रामरतन कोटा मे निवास करना अंकित किया है ।<br><br>अप्रार्थी मांगीबाई व राधाबाई के कायम मुकामान की सूची व अप्रार्थी रामरतन व रामकुंवार के सही पते की जानकारी प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/2019/1060 दिनांक 21.10.2019 से तहसीलदार दीगोद को पत्र लिखा गया लेकिन आदिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है ।<br><br>अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में सभी अप्राथी मृतक मांगीबाई व राधाबाई के कायम मुकामान अंकित करते हुए एवं अप्रार्थी रामरतन व रामकुवांर पिसरान प्रताप जाति बलाई निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद का सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।<br><br>अति0 जिला कलक्टर<br>(शहर)<br>कोटा | |